न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी : औमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 46 / 2025
निर्णय दिनांक : 31.12.2025
जीसीएमएस क्रमांक : 2025 / 90

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत
विभाजन अन्तर्गत 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम

1. ऋषभ पुत्र दौलतराम जाति धोबी उम्र 30 वर्ष निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

...........वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. खींवाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. गीगा देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
4. चंदा देवी पत्नी मदनलाल जाति धोबी निवासीनी ग्राम बालसमंद तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचानमन (राज.)
5. छोटू देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
6. तुलसी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
7. दुर्गा पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
8. प्रेम पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
9. बालूराम मेघवाल पुत्र बेगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
10. मांगी देवी पत्नी मोहनराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.).
11. राजू पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
12. राधेश्याम दर्जी पुत्र मोहनलाल दर्जी जाति धोबी निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
13. संतोष पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
14. हनुमानाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

..........प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिशु, एडवोकेट वादीगण की ओर से।
2. श्री सुभाष डुडी, एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 ता 11, 13 एवं 14 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही।
4. तहसीलदार सुजानगढ़ पेरोकारराज।

–: निर्णय :–

वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 14 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत ख.नं. 90 तादादी 11.9748 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) में स्थित है, जिसमें वादी का 4215 / 19958 हिस्सा नियत है। उक्त खसरे को वादगत खेत के नाम से सम्बोधित किया गया हैं। वादी ने वादगत भूमि खेत ख.नं. 90 तादादी 11.9748 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) में से वादी ने 4215 / 19958 हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 29.12.2023 खरीद करते समय वादी को विक्रेता द्वारा वादगत भूमि में से वादी को इस वाद के साथ संलग्न नजरिये नक्शा में लाल रंग से दर्शित भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द किया गया था, जो वादी के पुख्ता कब्जा, उपयोग, उपभोग में चली आ रही है, जिस पर वादी द्वारा पुख्ता सीवें कायम कर रखी है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 14 का खान–पान, लेन–देन, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी संयुक्त होने के कारण सीमा विवाद रहने लग गया है व वादी को संयुक्त खातेदारी के कारण सरकारी लाभांश प्राप्त करना तथा राज्य सरकार का लगान आदि चुकाने में भी भारी परेशानी होती है, इसलिये वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वोह वादगत खेत का विधिवत रूप से विभाजन करवाकर अपने हिस्से व पांति की पैरा संख्या 2 में वर्णितानुसार वादी हिस्से व पांति की भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग से अंकित कराये तथा लगान का विभाजन करायें, जिसके लिये वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने प्रतिवादीगण से वादगत भूमि का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया, तो वादगत भूमि का खाता विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है। वादगत भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की भूमि होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। वादी ने निवेदन किया कि वादगत खेत ख.नं. 90 तादादी 11.9748 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) की संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर वाद पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णितानुसार भूमि वादी के नाम अलग से अंकित कर लगान कायम किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रकरण न्यायालय में विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी व प्रतिवादी संख्या 4 तथा 12 का अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के अनुसार तैयार कर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया।

बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 12 के अधिवक्ता द्वारा दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अंतिम रूप से डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 जो कि वादगत भूमि के जमाबन्दी, नक्शा है के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 90 तादादी 11.9748 है0 रोही ग्राम ठरडा का वादी 4215/19958 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 कुल 2848/59874 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 12 कुल 2845/59874 हिस्से का रेकॉर्डेड खातेदार है। रेकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन करवा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझता है।

–:आदेशः–

दावा वादी अंमिक रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 90 तादादी 11.9748 है0 रोही ग्राम ठरडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि का वादी तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 12 का हिस्सा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अलग से कायम कर नक्शे में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
व इजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

ऋषभ बनाम कालुराम आदि
राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 46 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु श्री ओमप्रकाश वर्मा हाजरी श्री मोहनलाल बिशु, श्री ओमप्रकाश घोटिया .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 90 तादादी 11.9748 है0 रोही ग्राम ठरडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि का वादी तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 12 का हिस्सा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अलग से कायम कर नक्शे में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

मीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 12 2025

मुहर (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू)

दस्तखत ....
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा ....
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनतानाव कीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।